Regd. Office : New Power House, Jodhpur- 342003
Phone No : 0291-2748970 : Fax No : 0291-5106121
E-mail : secyadmn@yahoo.co.in Web site : www.jdvvnl.com

ADMN. 199

No. JdVVNL/MD/Secy.(Admn.)/Ju/S.Estt./F. /OO.180 /D. 329
Dated 9/6/16

ORDER

Sub:- Guidelines for obtaining services of retired Nigam officers/ employees on contract basis.

Pursuant to the approval of the Board of Directors in its 230th Meeting held on 23rd May, 2016, the Circular No. 17 (1)DOP/ A-II/ 94 dated 10.02.2016 issued by the Department of Personnel, Govt. of Raj. Jaipur regarding guidelines for obtaining services of retired officers/ employees on contract basis is hereby adopted in the Nigam.

By order

9.6.16

(Bhagirath Bishnoi)RAS
Secretary (Admn.)
Jodhpur Discom, Jodhpur.

Copy to the following for information and necessary action:

1. The Chief Engineer ( ), JdVVNL,
2. The Addl./Dy./Zonal Chief Engineer ( ), JdVVNL,
3. The Chief Accounts Officer ( ), JdVVNL,
4. The Company Secretary, JdVVNL, Jodhpur.
5. The Superintending Engineer ( ), JdVVNL,
6. The T.A. to Managing Director, JdVVNL, Jodhpur\Jaipur.
7. The Addl. Superintendent of Police (Vig.), JdVVNL, Jodhpur.
8. The Dy. Director Personnel (HQ\JZ\BZ), JdVVNL, Jodhpur\Bikaner.
9. The Sr. Accounts Officer ( ), JdVVNL,
10. The T.A./P.A. to Director (Finance\Technical), JdVVNL, Jodhpur.
11. The Executive Engineer ( ), JdVVNL,
12. The Personnel Officer ( ), JdVVNL,
13. The Accounts Officer ( ), JdVVNL,
14. The Assistant Engineer ( ), JdVVNL,
15. The Public Relations Officer ( ), JdVVNL,

9.6.16

Secretary (Admn.)
Jodhpur Discom, Jodhpur.

राजस्थान सरकार

कार्मिक (क–2) विभाग

जयपुर, दिनांक :– 10 FEB 2016

क्रमांकः एफ. 17(10)डीओपी/ए–II/94

–:परिपत्रः–

विषयः–सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं संविदा के आधार पर लेने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त।

वित्त (नियम) विभाग द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम–164A में किये गये संशोधन की अधिसूचना क्रमांक एफ. 12(6)वित्त/नियम/2009 दिनांक 01.12.2015 के अनुक्रम में राजकीय विभागों में स्पष्ट रिक्त पदों के विरूद्ध सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अनुबन्ध पर रखने के संबंध में कार्मिक विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 26.05.2014 के अधिक्रमण (Supersession) में, राज्य सरकार के विभागों, विभिन्न परियोजनाओं, नये आयोगों, समितियों, राजकीय संस्थाओं आदि में जहां भी सेवा नियम अभी तक नहीं बन पाये हैं; रिक्त पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारी उपलब्ध होने में विलम्ब की संभावना है वहां तात्कालिक आवश्यकता और अपरिहार्यता को दृष्टिगत रखते हुए, जनहित में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में, समेकित पारिश्रमिक पर संविदा पुनर्नियुक्ति के माध्यम से सेवाएं लिए जाने हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं :–

राज्य, अधीनस्थ, मंत्रालयिक, चतुर्थ श्रेणी सेवाओं एवं विभिन्न परियोजनाओं, नये आयोगों, समितियों तथा राजकीय संस्थाओं की स्पष्ट रिक्तियों के विरूद्ध संविदा पुनर्नियुक्ति प्रथम बार एक वर्ष अथवा नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने में से, जो भी पहले हो, तक की कालावधि के लिए प्रशासनिक विभाग के पूर्व अनुमोदन से की जा सकेगी, जिसे पद नहीं भरने के कारण/औचित्य दर्शाते हुए, प्रशासनिक विभाग की आज्ञा/पूर्व अनुमति से एक वर्ष की कालावधि के लिए और विस्तारित (Extend) किया जा सकेगा।

दो वर्ष के बाद संविदा पुनर्नियुक्ति की अवधि में अभिवृद्धि कार्मिक एवं वित्त विभाग की पूर्वसहमति से ही की जा सकेगी।

उक्तानुसार संविदा पर पुनर्नियुक्ति/संविदा अवधि में अभिवृद्धि करते समय निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित की जावेगी :–

(1) संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं केवल जनहित में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु उन पदों के विरूद्ध ही ली जा सकेंगी जो कि स्पष्ट रूप से रिक्त हैं। इस हेतु प्रशासनिक विभाग की स्वीकृति पश्चात् राज्य सेवाओं की रिक्तियों के संबंध में संबंधित प्रशासनिक सचिव, अधीनस्थ, मंत्रालयिक तथा चतुर्थ श्रेणी सेवाओं में राज्य स्तरीय रिक्तियों के लिए संबंधित विभागाध्यक्ष तथा जिला/स्थानीय स्तरीय रिक्तियों के लिए संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी सेवाएं लेने हेतु सक्षम प्राधिकारी होगा।

(2) किसी संवर्ग में कनिष्ठतम वेतनमान में रिक्तियों को 65 वर्ष से कम आयु के राज्य सरकार के सेवानिवृत कर्मचारी (शारीरिक रूप से/चिकित्सकीय रूप से उपयुक्त होने पर ही) से भरी जा सकेगी। सक्षम प्राधिकारी संबंधित कर्मचारी की पात्रता को प्रमाणित करने के लिए श्रेष्ठ निर्णयकर्ता होगा।

परन्तु उच्चतर पद के विरूद्ध समेकित पारिश्रमिक पर संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं, निम्नतर पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की पदोन्नति की संभावनाओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित न करने के अध्यधीन ली जा सकेगी।

(3) केवल ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी, जिन्होंने 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, की पुनर्नियुक्ति संविदा सेवाएं लेने हेतु विचार किया जायेगा। ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों, जिन्हें सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया था या जिन्हें किसी अन्य रीति से दंडित किया गया था, के संबंध में संविदा पुनर्नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जायेगा।

(4) संविदा पुनर्नियुक्ति सेवा पर वचनबंध एक बार में एक वर्ष की अवधि के लिये अथवा नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, की कालावधि के लिए होना चाहिए, जिसे प्रशासनिक विभाग की आज्ञा/पूर्व अनुमति से एक वर्ष की कालावधि के लिए और विस्तारित (Extend) किया जा सकता है बशर्ते संबंधित राजसेवक ने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो।

(5) सक्षम प्राधिकारी ऐसी प्रक्रिया/मार्गदर्शक सिद्धान्त भी विहित कर सकेगा जो वह उद्देश्य और योग्यता आधारित नियुक्तियों को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त समझे।

(6) सेवानिवृत कार्मिकों की संविदा पुनर्नियुक्ति सेवा के प्रयोजनार्थ समेकित पारिश्रमिक राशि संलग्न **परिशिष्ठ–'क'** के अनुसार होगी। उक्त परिशिष्ठ–'क' में दर्शित समेकित पारिश्रमिक राशि इस शर्त के अध्यधीन होगी कि समेकित पारिश्रमिक राशि अन्तिम मूल वेतन में से पेंशन राशि को कम किये जाने पर शेष रही राशि से अधिक नहीं होगी।

(7) संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं लेने के समय सक्षम प्राधिकारी और सेवानिवृत्त कार्मिक के बीच विस्तृत करार हस्ताक्षरित होगा। (**परिशिष्ठ–'ख'**)

(8) संविदा पर पुनर्नियुक्त कार्मिक एक वर्ष में 12 दिवस की वैतनिक आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे। वे राजस्थान सेवा नियमों के अधीन उपार्जित अवकाश या किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के हकदार नहीं होंगे। बिना अवकाश के प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिए मासिक पारिश्रमिक का 1/30 वां भाग काटा जायेगा।

(9) ऐसे व्यक्तियों को यात्रा भत्ता समेकित पारिश्रमिक के आधार पर विद्यमान यात्रा भत्ता नियमों के अधीन प्रवर्ग के अनुसार अनुज्ञात होगा।

(10) संविदा पुनर्नियुक्ति, संविदा की किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त किये जाने के दायित्व के अध्यधीन होगी।

(11) संविदा वचनबंध, संविदा की कालावधि के अवसान पर या नियमित रूप से चयनित व्यक्तियों की उपलब्धता पर, जो भी पहले हो, अभिमुक्त होगा।

(12) संविदा पुनर्नियुक्ति आधार पर लगे हुए व्यक्तियों को गोपनीय या संवेदनशील प्रकृति के कार्य या नकदी संभालने/रोकड़बही को लिखने और रोकड़िया के रूप में कृत्य करने से संबंधित कार्य न्यस्त (Entrust) नहीं किये जायेंगे।

(13) इस प्रकार प्रशासनिक विभाग के स्तर से एक वर्ष हेतु संविदा पुनर्नियुक्ति किए जाने एवं तत्पश्चात आगे एक वर्ष की अभिवृद्धि किए जाने के पश्चात् भी यदि ऐसे कार्मिक की अवधि में और अभिवृद्धि की आवश्यकता महसूस होती हो तो, कार्मिक/वित्त विभाग को तत्संबंधी प्रस्ताव *संलग्न निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित* सूचना के साथ भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावें।

यह परिपत्र वित्त विभाग की आई.डी. 101504938 दिनांक 30.12.2015 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी किया जाता है। यह जारी होने की दिनांक से प्रभावी होगा।

(आलोक गुप्ता)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव।
5. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर्स/विभागाध्यक्ष।
6. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख–1/ख–2) विभाग।
7. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक), कार्मिक विभाग को कार्मिक विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. सचिवालय के समस्त विभाग/अनुभाग/प्रकोष्ठ।
9. रक्षित पत्रावली।

(ओ.पी. गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी :–

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।

संयुक्त शासन सचिव

राज्य सरकार से सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों की संविदा पुनर्नियुक्ति सेवा में अभिवृद्धि हेतु प्रस्ताव भेजने के लिए निर्धारित प्रपत्र

विभाग/कार्यालयः------------------------------------
सेवा का नामः------------------------------------

1. सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी का नाम :------------------------------
2. सेवा का नाम, जिससे संबंधित है :------------------------------
3. जन्म तिथि और अंतिम आहरित वेतन :------------------------------
4. अधिवार्षिकी की आयु प्राप्त करने की तारीख :------------------------------
5. मूल विभाग का नाम :------------------------------
6. सेवानिवृत्ति के समय धारित पदः------------------------------
7. धारित पद का वेतनमानः------------------------------
(सेवानिवृत्ति के समय)
8 अनुभव :------------------------------
9. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन (रनिंग पे बैण्ड वेतन + ग्रेड पे)
(एलपीसी संलग्न है) :------------------------------
10 मूल पेंशन राशि (पीपीओ की प्रति) :------------------------------
11 सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारी की जिस रिक्त पद के विरूद्ध संविदा पर सेवाएं ली जानी है, उस पद के रिक्त रहने एवं नियमानुसार भरे जाने में विलम्ब के कारण :------------------------------
----
12. सेवानिवृत कार्मिक की रिक्त पद/पदों के विरूद्ध संविदा पुनर्नियुक्ति से किसी अन्य कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा अथवा नहीं ? तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट . करें।:------------------------------
----
----
13 स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण :------------------------------
14 भर्ती का तरीका(सीधी भर्ती या पदोन्नति) :------------------------------
यदि पदोन्नति द्वारा :-
(1) अंतिम नियमित चयन कब किया गया था ?--------------------
(2) पदोन्नति के लिए पात्र वरिष्ठतम व्यक्ति उपलब्ध है या नहीं ?----------
(3) नियमित चयन के लम्बित रहने के दौरान पदोन्नति के लिए पात्र वरिष्ठतम व्यक्तियों में से कुछ स्थापन्न नियुक्ति संभव है या नहीं ?----------------
15 रिक्त पद के विरूद्ध संविदा पर सेवाएं कब से ली जानी प्रारम्भ की गई (आदेश की प्रति संलग्न) तथा इस संविदा सेवा को कब से कब तक बढाया गया ? (आदेश की प्रति संलग्न)------------------------------
16. वह कालावधि जिसके लिए संविदा सेवाओं में अभिवृद्धि की जानी है। :--------
17. संविदा सेवाओं में अभिवृद्धि का विस्तृत औचित्य :--------------------
----

हस्ताक्षर

सक्षम/नियुक्ति प्राधिकारी मय सील

परिशिष्ट–'क'

सेवानिवृत्त कार्मिकों की संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं लिये जाने पर समेकित पारिश्रमिक निम्नलिखित रीति से अवधारित की जायेगी :–

क्रम सं.	**वेतनमान में सेवानिवृत्त होने वाले पदधारी** राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2008 में वेतन बैण्ड + ग्रेड पे	**समेकित पारिश्रमिक राशि प्रतिमाह (रुपयों में)**
1.	4750–7440+ग्रेड वेतन 1300	5100
2	4750–7440+ग्रेड वेतन 1400	
3	4750–7440+ग्रेड वेतन 1650	
4	5200–20200+ग्रेड वेतन 1700	
5	5200–20200+ग्रेड वेतन 1750	
6	5200–20200+ग्रेड वेतन 1800	
7	5200–20200+ग्रेड वेतन 1850	
8	5200–20200+ग्रेड वेतन 1900	6800
9	5200–20200+ग्रेड वेतन 2000	
10	5200–20200+ग्रेड वेतन 2100	
11	5200–20200+ग्रेड वेतन 2400	
12	5200–20200+ग्रेड वेतन 2800	
13	9300–34800+ग्रेड वेतन 3200	9000
14	9300–34800+ग्रेड वेतन 3600	
15	9300–34800+ग्रेड वेतन 4200	12000
16	9300–34800+ग्रेड वेतन 4800	
17	9300–34800+ग्रेड वेतन 5400	15000
18	15600–39100+ग्रेड वेतन 5400	
19	15600–39100+ग्रेड वेतन 6000	18000
20	15600–39100+ग्रेड वेतन 6600	20000
21	15600–39100+ग्रेड वेतन 6800	
22	15600–39100+ग्रेड वेतन 7200	23000
23	15600–39100+ग्रेड वेतन 7600	
24	15600–39100+ग्रेड वेतन 8200	
25	37400–67000+ग्रेड वेतन 8700	26000
26	37400–67000+ग्रेड वेतन 8900	
27	37400–67000+ग्रेड वेतन 9500 **नई ग्रेड पे**	30000
28	37400–67000+ग्रेड वेतन 10000	

नोट :–1 उपरोक्त समेकित पारिश्रमिक सेवानिवृत्ति के समय के मूल वेतन में से मूल पेंशन की राशि कम करने पर रही शेष राशि से अधिक नहीं होगा।

2. नियमित नियुक्ति दिनांक से राज्य कर्मचारियों को ए.सी.पी. नियमों के तहत तीन ए.सी.पी. देय होती है। इसलिए उच्च पद से सेवानिवृत कार्मिक की, यदि निम्न पद पर संविदा पर पुनर्नियुक्ति होती है तो ऐसे कार्मिक को उस पद से संबंधित सेवा के निम्नतम पद के लिए निर्धारित ग्रेड–पे से ए.सी.पी. के नियमों के अन्तर्गत तीसरी उच्च ग्रेड–पे या सेवानिवृति के समय की ग्रेड–पे, जो भी कम हो के आधार पर समेकित पारिश्रमिक या पे–माईनस पेंशन की राशि, जो भी कम हो देय होगी।

परिशिष्ट–'ख'

सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा निष्पादित किये जाने वाला करार

सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों की संविदा पुनर्नियुक्ति पर सेवाऐं लेने के लिए कार्मिक विभाग के परिपत्र सं. ....दिनांक........................ ....द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसरण में निम्नलिखित करार राजस्थान सरकार, जिस अभिव्यक्ति में राज्यपाल की ओर से संविदात्मक करार करने के लिए सक्षम सरकार का प्राधिकारी सम्मिलित है, (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है) और श्री ....पुत्र/पुत्री श्री.................................. ....निवासी.. ...(जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के बीच किया जाता है। जिसके द्वारा निम्नलिखित रूप में यह करार किया जाता है :–

1. संविदा वचनबंध द्वितीय पक्षकार को कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगा और प्रथम पक्षकार इसे किसी भी समय समाप्त कर सकता है। द्वितीय पक्षकार इस प्रयोजन के लिए किसी प्रशासनिक, अर्द्ध–न्यायिक या न्यायिक अनुतोष का अवलम्ब लेने का हकदार नहीं होगा।

2. द्वितीय पक्षकार द्वारा मूल विभाग के अधीन की गई पूर्व सेवा, यदि कोई हो, की कोई सुसंगति नहीं होगी या उसे सेवा फायदों की किसी निरन्तरता के लिए गिना नहीं जायेगा।

3. संविदात्मक वचनबंध एक वर्ष की कालावधि के लिए या द्वितीय पक्षकार के 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, किया जाता है।

4. वचनबंध की संविदा कालावधि पर नवीकरण के लिए विचार किया जा सकेगा परन्तु संविदात्मक वचनबंध की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती............................ ....का कार्य और आचरण संतोषजनक होना चाहिये। किसी भी दशा में संविदात्मक वचनबंध की निरन्तरता 65 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगी।

5. संविदात्मक समेकित पारिश्रमिक राशि इस शर्त के अध्यधीन प्रति मास रु.——— पर नियत की गई हैं कि समेकित पारिश्रमिक राशि सेवानिवृत्ति के समय के मूल वेतन (रनिंग पे बैण्ड वेतन+ग्रेड पे) में से मूल पेंशन राशि कम करने पर अवशेष रही राशि से अधिक नहीं होगी। द्वितीय पक्षकार को पारिश्रमिक समनुदेशित कार्य के संतोषजनक निर्वहन पर निर्भर होगा। किसी कमी की दशा में प्रथम पक्षकार तद्नुसार पारिश्रमिक अवधारित करने के लिए प्राधिकृत होगा।

6. संविदात्मक वचनबंध 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर समाप्त किये जाने के दायित्व के अधीन होगा।

7. द्वितीय पक्षकार एक वर्ष में 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश का उपयोग करने का हकदार होगा। किसी भी प्रकार का कोई अन्य अवकाश अनुज्ञेय नहीं होगा।

8. प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिए मासिक परिलब्धियों का 1/30 वां भाग काटा जायेगा।

9. अधिकारिता के भीतर कार्य स्थान सक्षम प्राधिकारी के नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा प्रथम पक्षकार की ओर से विनिश्चित किया जायेगा। द्वितीय पक्षकार को राजस्थान के भीतर या बाहर कहीं भी कार्य करने के लिए भी निर्दिष्ट किया जा सकेगा।

10. ऐसे व्यक्तियों को यात्रा भत्ता समेकित पारिश्रमिक के आधार पर विद्यमान यात्रा भत्ता नियमों के अधीन प्रवर्ग के अनुसार अनुज्ञात किया जा सकेगा।

11. द्वितीय पक्षकार द्वारा समस्त नियमों और विनियमों, निदेशों और आदेशों का अनुपालन किया जाना है जो पहले से ही प्रवर्तन में है और जो संविदा कालावधि के दौरान जारी किये जा सकते हों।

12. पक्षकारों के बीच किसी विवाद को ऐसे प्राधिकारी को, जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट किया जा सकेगा।

द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर
दिनांक सहित

साक्षीः
1. ____________
2. ____________

प्रथम पक्षकार की ओर से हस्ताक्षर

नियुक्ति प्राधिकारी अधिकारी के हस्ताक्षर
साक्षीः
1.________________
2.________________